

(का.) 07692 - 220444

(नि.) 07692 - 220301

(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //


क्रमांक/2241/वित्त-1/2020

सिवनी दिनांक 31 मार्च, 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2171/वित्त-1/2020 सिवनी, दिनांक 22 मार्च, 2020 के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक/2157/वित्त-1/2020 सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2020 को अधिकमित करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाकर आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू किया जाकर उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर अगामी निर्णय लिया जाएगा के संबंध में आदेशित किया गया था ।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुये उक्त आदेश दिनांक 14/09/20 पर्यन्त तक प्रभावशील किया जाता है ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
सिवनी


पृ.क्र./2241/वित्त-1/2020

सिवनी, दिनांक

31 मार्च 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 2- अपर कलेक्टर सिवनी
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी
- 4- प्रभारी अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर कलेक्ट्रेट सिवनी ।
- 5- समस्त कार्यालय प्रमुखजिला सिवनी
- 6- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,जिला सिवनी
- 7- तहसीलदार/नायब तहसीलदारजिला सिवनी
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतजिला सिवनी
- 9- सहायक संचालक जन संपर्क सिवनी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
- 10- सर्व संबंधितजिला सिवनी ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित ।


कलेक्टर,
जिला-सिवनी